

एसईसी-1/187(2)/2026/3035

दिनांक: 28 सितंबर, 2026

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई -400 051	कॉर्पोरेट संबंध विभाग बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001
स्क्रिप कोड-RECLTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051.	Corporate Relationship Department BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955

विषय: एक्सचेंजों द्वारा लगाए गए जुर्माने पर बोर्ड की टिप्पणियों के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

यह एनएसई के पत्र और बीएसई के ईमेल दिनांक 25 अगस्त, 2026 के संदर्भ में है, जो सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") में यथा निर्धारित, 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान बोर्ड और उसकी समितियों के गठन से संबंधित अपेक्षाओं का आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" / "कंपनी") द्वारा अनुपालन न किए जाने के संबंध में है।

स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, अनुपालन न करने के उपर्युक्त विषय को कंपनी के निदेशक मंडल की 19 सितंबर, 2026 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसमें बोर्ड ने बोर्ड और उसकी समितियों के गठन के संबंध में अनुपालन न किए जाने की स्थिति तथा इससे संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाए गए जुर्माने का संज्ञान लिया।

इस संबंध में, निदेशक मंडल ने इच्छा व्यक्त की कि आरईसी के निदेशक मंडल में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को शीघ्र संपन्न कराने के उद्देश्य से नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात् भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्यवाही की जाए।

इसके अतिरिक्त, हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि कंपनी एक सरकारी कंपनी है तथा कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, जो भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं। निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है। अतः स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को माफ किए जाने का अनुरोध है।

धन्यवाद ,

भवदीय,
कृते आरईसी लिमिटेड

Digitally Signed

दिनेश गर्ग)

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

संदर्भ : एनएसई के पत्र तथा बीएसई के ई-मेल दिनांक 25 अगस्त, 2026

क्षेत्रीय कार्यालय : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा
राज्य कार्यालय : वडोदरा, वाराणसी
प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

अनुवाद जारी है जल्द ही उपलब्ध होगा ।